NSW GOVERNMENT | Office of the Children's Guardian

एनएसडब्ल्यू में बच्चों के साथ कार्य करने हेतु जाँच

जाँच की आवश्यकता किसे होती है?

जो लोग बच्चों को सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन्हें सामान्यतः बच्चों के साथ कार्य करने हेतु जाँच (Working With Children Check) की आवश्यकता होती है।

बच्चों से संबंधित कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान करना
- जहाँ कार्य में सामान्यतः लंबी अवधि के लिए बच्चों के पास उपस्थित रहना शामिल होता है
- जहाँ कर्मी या स्वयंसेवक बच्चों के साथ अकेले हो सकते हैं
- बच्चों के बारे में गोपनीय जानकारी के साथ कार्य करना।

निम्नलिखित परिस्थितियों में जाँच करवाने से छूट है:

- 18 वर्ष से कम आयु वाला कर्मी या स्वयंसेवक
- अपने घर में निजी व्यवस्था (उदाहरण के लिए, आया और सफाई-कर्मी)
- थोड़े समय के लिए एनएसडब्ल्यू आने वाले लोग (30 दिनों से कम या एकबारगी घटना)
- स्कूल की सामान्य गतिविधियों या पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में बच्चों की सहायता करने वाले निकट संबंधी। इसमें निम्नलिखित तीन परिस्थितियों का *अपवाद* है, जिनके लिए जाँच आवश्यक होती है:
  - विकलाँगता-ग्रस्त बच्चे के लिए व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करना
  - किसी परामर्श (मेंटरिंग) कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान करना
  - बच्चों के शिविर में रात बिताना।

याद रखें

यदि आप बच्चों के साथ कार्य करने हेतु जाँच के लिए आवेदन करते/करती हैं, तो:

- आपको अपना संपर्क विवरण अद्यतन रखना होगा।
- यदि आप अपनी नौकरी बदलते/बदलती हैं, तो आपकी जाँच को आपके साथ स्थानांतरित किया जा सकता है - अपने नए कार्य-नियोक्ता को बस अपनी जाँच सँख्या बताना याद रखें।
- इसके लिए कोई कार्ड नहीं है - आपके आवेदन के परिणाम पत्र या ईमेल तथा अनुमति नोटिस में दी गई जाँच सँख्या अपने पास रखें।

किन बातों की जाँच की जाती है?

बच्चों के साथ कार्य करने हेतु जाँच एक जाँच प्रक्रिया होती है, जिसमें निम्नलिखित बातों की जाँच की जाती है:

1. आपका देश-व्यापी आपराधिक इतिहास:
   - अभियोग (दण्ड पूरा किया गया या नहीं किया गया)
   - आरोप (सुनवाई की गई या नहीं की गई, या खारिज किया गया)
   - अवयस्क रिकॉर्ड।
2. दुराचरण की रिपोर्टिंग करने वाले किसी निकाय के निष्कर्ष और एनएसडब्ल्यू लोकपाल द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ।

यदि इस प्रक्रिया के दौरान कोई आपत्तिजनक बात प्रकट होती हैं, तो आवेदन को खतरा आकलन के लिए भेजा जा सकता है।

परिणाम

बच्चों के साथ कार्य करने हेतु जाँच के आवेदन के छह संभव परिणाम हो सकते हैं:

- **अनुमति (Clearance) –** आप बच्चों के साथ कार्य कर सकते/सकती हैं
- **खतरा आकलन (Risk assessment) –** जब तक हम आपको अन्यथा सूचित न करें, तब तक आप अपनी आवेदन सँख्या का उपयोग करके बच्चों के साथ कार्य कर सकते/सकती हैं। आप खतरा आकलन के दौरान अपना आवेदन वापस लेने का निवेदन कर सकते/सकती हैं।
- **अंतरिम रोक (Interim bar) –** यदि हमारे विचार में बच्चों के साथ आपके कार्य करने में खतरे हो सकते हैं, तो खतरा आकलन के दौरान आपके कार्य करने पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है
- **रोक (Bar) –** खतरा आकलन के बाद जाँच के परिणामस्वरूप आपके कार्य करने पर रोक लगाई जा सकती है, जिसका अर्थ है कि आप बच्चों के साथ कार्य नहीं कर सकते/सकती हैं
- **स्वतः रोक (Automatic bar) –** कुछ प्रकार के अपराधों के लिए दोषी पाए जाने का अर्थ यह होता है कि आप बच्चों के साथ कार्य नहीं कर सकते/सकती हैं।
- **समाप्त (Closed) –** कई कारणों से आपके आवेदन को बंद किया जा सकता है, इसमें दोहरे आवेदन और निवेदन की गई जानकारी न देना शामिल हैं।

यदि आपको बच्चों के साथ कार्य करने के लिए स्वीकृति दे दी जाती है, तो हम आपको एक अनुमति सूचना भेजेंगे।

यदि आपके आवेदन के परिणामस्वरूप अंतरिम रोक, स्वतः रोक या कोई अन्य प्रकार की रोक लगाई जाती है या आपके आवेदन का खतरा आकलन करना आवश्यक है, तो हम आपको सूचित करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में हमें आपके कार्य-नियोक्ता को आपकी स्थिति के बारे में बताना होगा क्योंकि आप बच्चों से संबंधित कार्य नहीं कर सकते/सकती हैं। परंतु आपकी लिखित सहमति के बिना उनके साथ कोई भी अन्य जानकारी साझा नहीं की जाएगी।

हम किन कारकों पर विचार करते हैं

जब बाल-अभिभावक कार्यालय (ओसीजी) [Office of the Children's Guardian (OCG)] खतरा आकलन के लिए रिकॉर्डों की समीक्षा करता है, तो कई कारकों पर विचार किया जाता है।

आचरण से संबंधित कारक

- दुराचरण की गंभीरता (आचरण, न्यायालय के निष्कर्ष और दंड के विवरण के अनुसार)
- इस प्रकरण के बाद कितना समय बीत चुका है
- पीड़ित की आयु और संवेदनात्मकता
- अपराधी और पीड़ित(तों) के बीच संबंध
- अपराधी और पीड़ित के बीच आयु में अंतर
- क्या अपराधी को पता था या पता हो सकता था कि पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी

आवेदक से संबंधित कारक

- अपराध के बाद का आचरण
- अपराध के समय आयु और वर्तमान आयु
- कुल आपराधिक रिकॉर्डों की गंभीरता

पुनरावृत्ति से संबंधित कारक

- फिर से अपराध किए जाने की संभावना
- फिर से अपराध किए जाने के कारण बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

निरंतर निगरानी

एनएसडब्ल्यू में हम बहुत सख्ती के साथ जाँच करते हैं, जिसमें निरंतर निगरानी किया जाना शामिल है।

इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति का एक नया प्रासंगिक पुलिस या कार्यस्थल रिकॉर्ड बनता है, तो हमें इसके बारे में सूचित किया जाता है और हम व्यक्ति की जाँच की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं।

कुछ रिकॉर्डों से बाल-अभिभावक कार्यालय (Office of the Children's Guardian) द्वारा खतरा आकलन किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी अनुमति को रद्द किया जा सकता है।